भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*178

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**विधि शिक्षा की गुणवत्ता**

**\*178. श्री संजय सेठ :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विधि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) क्या किसी विधि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) घोषित करने के लिए दिशानिर्देश विद्यमान हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश में किन्हीं विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों को “राष्ट्रीय महत्व के संस्थान” अथवा “प्रतिष्ठित संस्थान” का दर्जा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ङ) :**  एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*178 जिसका उत्तर तारीख 28.12.2018 को दिया जाना है के संबंध में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) :** भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने अधिवक्ता अधिनियम, 961 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन विधिक शिक्षा नियम, 2000 विरचित किया है। भारतीय विधि आयोग ने "अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (विधिक व्यवसाय का विनियमन)" शीर्षक के अधीन मार्च, 2017 में अपनी 266वीं रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की है, जिसमें उसने भारत में विधिक शिक्षा के मानकों के सुधार करने के लिए विभिन्न सिफारिशें की है।

**(ख) :** भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सूचित किया है कि किसी विश्वविद्यालय या संस्था को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए कोई मार्ग दर्शक सिद्धांत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना की गई हैं और जो आज विद्यमान है राज्य सरकार के कानूनों द्वारा पूर्णतया सृजित है और उनको संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही चलाया जा रहा है।

**(ग) से (ङ) :** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 64 उपबंध करती है कि “भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषीत और संसद द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं”। इस समय देश में किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को “राष्ट्रीय महत्व के संस्थान” या “प्रतिष्ठित संस्थान” का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*